

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE


NAME OF NEWSPAPER **नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 3 अगस्त 2023** DATED _____

जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान, अथॉरिटी ने दिलाया भरोसा बिजली के पोल और पेड़ों के पीछे छुपी ट्रैफिक लाइटें 15 दिन में करेंगे दुरुस्त

Prachi.Yadav@timesgroup.com

■ नई दिल्ली : ट्रैफिक लाइटों के बिजली के खंभों, साइनेज या पेड़ों की घनी टहनियों के पीछे छिप जाने से जनता को कितनी और किस तरह की परेशानियां होती हैं, इस का एहसास अथॉरिटीज को तब हुआ जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वेस्ट दिल्ली निवासी एक शख्स ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर की। कोर्ट ने भी एक दिन की ही सुनवाई में अथॉरिटी से यह भरोसा ले लिया कि वह 15 दिनों के भीतर इस शिकायत को दूर कर देगी।

जनकपुरी निवासी अजय बजाज ने एडवोकेट मोहन एस. समृद्धि के जरिए याचिका दायर कर अथॉरिटीज की कथित लापरवाही को कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट में कहा कि जरूरी भी देरी किसी



द्वारका कोर्ट के सामने सेक्टर-23 की ओर जाने वाली सड़क पर है सिग्नल व्यक्ति या समूह की मौत की वजह बन सकती है। मामले में दिल्ली सरकार, जॉइंट सीपी, ट्रांसपोर्ट रेंज, पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एमसीडी, बीएसईएस राजधानी

...ताकि सेफ हो सफर

- जनकपुरी निवासी एक शख्स ने दायर की थी जनहित याचिका
- कोर्ट ने भी एक दिन की सुनवाई में अथॉरिटी से लिया वादा

पावर, यमुना पावर और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन को प्रतिवादी बनाया।

आरोप लगाया कि कई जगहों पर ट्रैफिक लाइटें बिजली के खंभे या पेड़ों की टहनियों आदि के पीछे छिप जाती हैं, जो हादसे का कारण बन सकता है। उदाहरण के तौर पर द्वारका के एक चौराहे को रखा। दावा किया कि वह इस चौराहे पर 14 सितंबर 2022 को एक बड़े सड़क हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचे। सेक्टर-23 की ओर जाने वाली इस सड़क पर जो ट्रैफिक लाइट लगी है, वह बिजली के खंभे के पीछे है।

ब्लॉक न हों ट्रैफिक लाइटें

याचिकाकर्ता के मुताबिक, यह चौराहा द्वारका डीसीपी ऑफिस के नजदीक है। दावा किया कि उन्होंने प्रतिवादियों को इस बारे में कई बार शिकायतें दीं। लेकिन, किसी ने भी अभी तक इस मुद्दे पर कोई कदम नहीं उठाया। जबकि ट्रैफिक लाइट नियमों और दिशानिर्देशों के मुताबिक सामने की ओर लगी होनी चाहिए। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने याचिकाकर्ता की शिकायत को अपने आदेश में दर्ज किया। कहा कि डीडीए के वकील ने 15 दिनों के भीतर इस समस्या को हल करने का भरोसा दिलाया है और यह सुनिश्चित करने का कि ट्रैफिक लाइट बिजली के खंभे की वजह से ब्लॉक न हों।

कुतुब गोल्फ कोर्स की मेंबरशिप का मौका

■ विस, नई दिल्ली: कुतुब गोल्फ कोर्स के लिए डीडीए ने मेंबरशिप लेने का मौका दिया है। डीडीए की तरफ से 500 लोगों को मेंबरशिप दी जानी है, जिसमें पे एंड प्ले भी शामिल है। यह मेंबरशिप 3 से 5 साल तक के लिए मिलेगी।

डीडीए के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 साल की मेंबरशिप एंट्री फीस 1.77 लाख रुपये है। आम लोगों के लिए यह 5.31 लाख है। पांच साल के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एंट्री फीस 2.95 लाख, जबकि आम लोगों के लिए यह 8.85 लाख है। इसके अलावा सदस्यों को मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी फीस देनी है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए 1,416 रुपये और आम लोगों के लिए 2,124 रुपये है। इनके अलावा 100 मेंबर दिव्यांग कैटिगरी और बाकी 100 आम आवेदन होंगे। 15 अगस्त तक लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

नवभारत टाइम्स | नई दिल्ली | गुरुवार, 3 अगस्त 2023

सीरी फोर्ट स्टेडियम में ऑल वेदर स्विमिंग पूल शुरू

■ विस, नई दिल्ली : सीरी फोर्ट स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड वाला ऑल वेदर स्विमिंग पूल शुरू हो गया है। रेनोवेशन के बाद इस स्विमिंग पूल को अब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषीश पांडा ने इसका शुभारंभ किया।

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार स्विमिंग पूल 50 मीटर (स्टैंडर्ड ऑलिंपिक साइज) लंबा है। इसके साथ ही एक बच्चों का टोडलर पूल भी है। पूल में टेसिल रूफ कवर, सर्दियों में हीटिंग सुविधा, एसी रिसेप्शन, चेंजिंग रूम आदि की सुविधा भी है। सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर और आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट,



रेनोवेशन के बाद लोगों के लिए खोला गया

फुटबॉल, बॉस्केटबॉल, शूटिंग रेंज, इंडोर बेडमिंटन, टेनिस, आदि की सुविधा मिलती है। डीडीए के अनुसार रेनोवेशन के चलते काफी समय से स्विमिंग पूल को बंद रखा गया था। क्लब के सदस्य इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। एक्स्ट्रा फीस भी नहीं देनी होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE


NAME OF NEWSPAPER नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023 दैनिक जागरण DATED-----

'असिता' व 'बांसेरा' में जी-20 सम्मेलन की गतिविधियों पर संशय

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

यमुना नदी की बाढ़ ने 'असिता ईस्ट' एवं 'बांसेरा' में जी-20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी गतिविधियों के आयोजन पर भी पानी फेर दिया है। आलम यह है कि अभी तक यमुना किनारे तैयार किए गए इन दोनों हरित क्षेत्रों में से न तो बाढ़ का पानी उतरा है, न ही यहां हुए नुकसान का आकलन किया जा सका है।

बता दें कि लगभग 90 हेक्टेयर में फैली असिता ईस्ट और 12 हेक्टेयर में बांसेरा क्षेत्र में लगभग एक साल से बड़े पैमाने पर सुंदरीकरण कार्य चल रहा था। दोनों ही जगह 2.5 हेक्टेयर में आर्द्र भूमि



यमुना में आई बाढ़ के कारण असिता ईस्ट पार्क में भरा पानी • जागरण आर्काइव

तैयार की गई। बांसेरा में दिल्ली, एलजी वीके सक्सेना की विशेष इच्छा थी कि इन दोनों ही जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान कुछ छिटपुट गतिविधियां रखी जाएं। मार्च में

असिता व बांसेरा में जी-20 को लेकर किसी भी गतिविधि के आयोजन की कोई जानकारी नहीं है। असिता में अभी तक बाढ़ का पानी पूरी तरह से उतरा नहीं है। फिर भी हम अपने स्तर पर जी-20 के आयोजन के मद्देनजर यथासंभव तैयारी कर रहे हैं।

—सुभाशीष पांडा, उपाध्यक्ष, डीडीए

असिता में 12 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक भी रखी भी गई थी, लेकिन पिछले माह आई यमुना की बाढ़ में सारी तैयारी बह गई। लिहाजा, अब यहां पर किसी गतिविधि के आयोजन

की संभावना नहीं बची। राजधानी के सुंदरीकरण में जुटा है डीडीए : असिता और बांसेरा में हुए नुकसान के बावजूद राजधानी के सुंदरीकरण की दिशा में डीडीए जुट गया है। विभिन्न प्रमुख जगहों पर गमले वाले एक लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। 47 पार्कों में लगे वृक्षों पर रोशनी की जाएगी, इनमें लगे सभी फव्वारे भी चालू कर दिए गए हैं। 22 पार्कों और खेल परिसरों में जी-20 के संदेश प्रदर्शित होंगे। इनमें एनएच 24 संजय झील पार्क, लीला के पास पार्क, सीबीडी शाहदरा एवं स्वर्ण जयंती पार्क भी शामिल हैं। चिराग एवं दरवार खान नाम की दो आधुनिक नर्सरियां तैयार की जा रही हैं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWS PAPER: नई दिल्ली। बृहस्पतिवार • 3 अगस्त • 2023

सहारा



तिमारपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचा डीडीए, एमसीडी व आरपी सेल के अधिकारी।

फोटो: एसएनबी।

अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए, निगम व आरपी सेल ने की कार्रवाई

नई दिल्ली (एसएनबी)। तिमारपुर बस व ट्रक की पार्किंग के साथ मार्केट में बुधवार को नगर निगम, डीडीए और आरपी सेल के अधिकारियों ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान निगम के अधिकारियों ने दो ट्रक सामान भी जब्त किया है।

डीडीए, निगम व पुलिस के अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने सुबह 11 बजे के करीब पहुंचे। जैसे ही इसकी खबर मार्केट के दुकानदारों को लगी तो भारी संख्या में दुकानदार मौके पर पहुंच गए। द ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के

दो ट्रक सामान
किया जब्त

अध्यक्ष राजेंद्र कुमार और मुकेश कुमार ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने आरपी सेल के डीसी अमित कुमार से पार्किंग चलाने वाले ठेकेदार की शिकायत की थी। शिकायत करने का मार्केट के दुकानदारों का यह भुगतान करना पड़ा कि ठेकेदार ने अपनी ताकत दिखाते हुए दिल्ली नगर निगम, डीडीए के अधिकारियों को भेज दिया। ठेकेदार ने हमें चेतावनी दी थी कि शिकायत करनी बंद नहीं की तो मार्केट में तोड़फोड़ की कार्रवाई करवाएगा। आज उसी का नतीजा है कि मार्केट में निगम डीडीए के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और बुलडोजर की सहायता से दो ट्रक सामान जब्त करके ले गए। मौके पर मौजूद आरपी सेल के अधिकारी शैलेंद्र को भी मार्केट के दुकानदारों ने अवैध रूप से पच्ची काटे जाने की शिकायत की और जो पर्ची काटी जा रही थी, उसकी पर्ची भी उन्हें दिखाई। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि आरपी सेल के अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगाया जाएगा।